MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON COOPERATION
IN THE FIELD OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BETWEEN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, REPUBLIC OF INDIA AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE, REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises of the Republic of India and the Ministry of Industry and Commerce, Republic of Mozambique (hereinafter referred to as the “Parties”), Desiring to develop micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the respective countries, Have reached the following understanding.

ARTICLE-1

The parties shall cooperate in the following areas on mutually agreed terms and conditions and in accordance with respective laws and regulations;

(1) Capacity building for developing policy and institutional framework through exchange of experts for the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Mozambique.
(2) Carrying out industrial potential surveys and feasibility studies to identify thrust areas and opportunities for development of MSMEs in Mozambique.
(3) Promoting partnership projects and cooperation between institutions in both countries as well as between business enterprises.

(4) Providing training for improvement of managerial & technical skills for MSMEs.

(5) Organising exhibitions and trade fairs in India and Mozambique for marketing the products of MSMEs, and also for displaying the latest machineries and equipments, as well as material inputs required by MSMEs for their production operations.

(6) Exchanging business missions to help initiate technology transfer and sustainable business alliances between Indian and Mozambique enterprises.

ARTICLE-2

A Joint Committee, hereinafter referred to as “Committee”, shall monitor the implementation of this Memorandum of Understanding. The Committee shall comprise representatives of the Ministry of Industry and Commerce on the Mozambique side and of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises on the Indian side. Each party shall inform the other about the composition of the member(s) of the Joint Committee from its side.

ARTICLE-3

(i) The Committee shall meet in ordinary session, once in a year, in Mozambique or India alternately, and in extraordinary sessions at the request of either party at any time, when necessary.

(ii) The Committee shall oversee formulation of programmes and plans of cooperation and monitor the progress of implementation with the aim of strengthening relations and partnership between the two countries in the field of promotion and development of MSMEs.
ARTICLE-4

The Parties shall regularly exchange information relating to micro, small and medium business enterprises, development opportunities and possibilities of partnerships and shall work towards their achievement.

ARTICLE-5

The parties may, by mutual consent, make amendments to this Memorandum of Understanding. Any amendment shall enter into force under the same terms and conditions as required for the entry into force of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE-6

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties and through diplomatic channels.

ARTICLE-7

This Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature by both the parties and shall remain in force unless it is terminated by either party giving a 90 days' written notice to the other party through diplomatic channels, indicating its intention to terminate this Memorandum of Understanding.
ARTICLE-8

Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of any project undertaken pursuant to this Memorandum of Understanding prior to its termination, unless the parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the following representatives duly authorized thereto by their respective Government have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at.....................New Delhi..................on this ...............30th........day of September........2010. in two originals each, in English, Hindi and Portuguese languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Dinsha Patel
Minister of State
(Independent Charge) Micro,
Small and Medium Enterprises

Republic of India

Oldemiro Marques Baloi
Minister of Foreign
Affairs and Cooperation

Republic of Mozambique
सूर्य, लघु और मध्यम उद्यम (सूर्य-लघु) क्षेत्र में सहयोग पर सूर्य, लघु और मध्यम उद्यम
मंत्रालय, भारत गणराज्य और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, मोजाम्बिक गणराज्य के बीच
समझौता हासिल किया।

सूर्य, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत गणराज्य और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय,
मोजाम्बिक गणराज्य (जिन्हें नीचे इसके बाद “वहीं” के रूप में उल्लिखित किया गया है)
संबंधित देशों में सूर्य, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास की इच्छा रखते हुए
निम्नलिखित प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद-1

प्रथम आगामी सहमति निविवेचन और शास्त्री एवं संबंधित कर्तव्यों और विनियमों के अनुसार निम्नलिखित
क्षेत्रों में सहयोग करेगे:

(1) मोजाम्बिक में सूर्य, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए विशेषज्ञों के आदान-प्रदान
के माध्यम से नीतिगत और संस्थागत दौरा विकसित करने के लिए ज्ञान क्षमता निर्माण।

(2) मोजाम्बिक में सूर्य, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए वित्त देने वाले क्षेत्रों और
अवसरों का पता लगाने के लिए सहयोग और व्यवहार अध्ययन करना।

(3) दोनों देशों के बीच सार्वजनिक विश्वास और संयुक्त-से संयुक्त और उद्यम-से-उद्यम
सहयोग का संरचनात्मक करना।

(4) सूर्य, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रबंधनीय और तकनीकी सुविधाओं में सुधार के
लिए सहयोग प्रदान करना।

(5) सूर्य-लघु उद्यमों के विश्वास के लिए भारत और मोजाम्बिक में प्रबंधनीय और व्यावहार
में सहयोग करना, और प्राप्त हुए संबंधित संबंध के लिए सूर्य-लघु उद्यमों के जीवन के दौरान
सहकर्मी के साथ-साथ सहयोग संबंधित और उपकरण प्रदीक्षित करना।

(6) भारत और मोजाम्बिक के उद्यमों के बीच प्रवृत्ति और सहयोग में सहयोग करने के लिए सहयोग
संबंधित समितियों का आदान-प्रदान करना।
अनुच्छेद-2
एक संयुक्त समिति, जो इसके बाद “समिति” के रूप में उल्लिखित, समझौता झापन के कार्यान्वयन का अनुसरण करेगी। समिति में मोजाम्बिक की ओर से उप्रोग और वाणिज्य मंडल और भारत की ओर से सूचना, लघु और मध्यम उद्यम दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रथम पद्धति प्राकृतिक पदों को अपनी ओर से संयुक्त समिति के सदस्य (सदस्यों) के संगठन के बारे में सुचित करेगा।

अनुच्छेद-3
(i) यह समिति वर्ष में एक बार मोजाम्बिक अवधि भारत में बाहर-बाहर से साधारण सत्र में और किसी भी समय अथवा एक वर्ष के अनुसार पर, जब भी आवश्यक हो, साधारण सत्र में अपनी बैठक करेगी।
(ii) समिति, सूचना, लघु और मध्यम उद्यमों के संचार और विकास के क्षेत्र में दोनों दशक के बीच संबंध और भागीदारी सुबूत करने के उद्देश्य से सहयोग के कार्यक्रमों, और योजनाओं की तैयारी का देखरेख करेगी और कार्यान्वयन की प्रगति का अनुसरण करेगी।

अनुच्छेद-4
दोनों पद्धति, सूचना, लघु और मध्यम व्यापार दशक के विकास अवसर और साधारण की संभावनाओं से संबंधित सूचना का निर्माण आवाज-प्रदान करेगी।

अनुच्छेद-5
दोनों पद्धति, परस्पर सहमति से इस समझौता झापन में संशोधन कर सकते हैं। कोई भी संशोधन इस कार्य योजना के लघु होने की अनुमति पाबंधन और शहरों के महत्व प्राप्त होगा।

अनुच्छेद-6
इस समझौता झापन के व्यापार से दोनों पद्धति के बीच उत्पन्न किसी विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से, राजनीतिक मध्यम से, पदों के बीच परमाण्विक अवधारणाओं द्वारा निपटाया जाएगा।
अनुच्छेद-7

यह समझौता शापन दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को राजनीतिक माध्यम से इस संयुक्त कार्य कोटिता की समाप्ति के आसपास से 90 दिन का शिकित नोटिस देकर इसे समाप्त नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद-8

इस समझौता शापन की समाप्ति इसके समाप्त के पूर्व इसके अनुसरण में प्रारंभ की गई किसी परियोजना की पूर्णता पर प्रभाव नहीं होगी, जब तक एक अन्य शाहीता नहीं होतो।

इसके साथ एक, अपनी-अपनी संबंधित सरकारें द्वारा विविध प्रशिक्षण निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न निम्न

अंजीन, हिंदी और पुरुषाली भाषा में किसी शिक्षा के 2010 के दिन में दिन में दिन में दिन में दिन में दिन में
में दो मूल प्रतिनिधियों में हस्ताक्षर किया गया, सभी पाद समाप्त रूप से वैध है। व्यक्तियों में किसी
भिन्नता के मामलें में अंजीनी पाद मान्य हो।

..............................................................

विभाग प्रतिलिपि,
सूचना, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंडी
(स्वतंत्र प्रमाण) सूचना, लघु और मध्यम
उद्यम, भारत गणराज्य की सरकार

ओलियेरो बलाई,
विदेश कार्य एवं सहयोग मंडी
वित्तीय गणराज्य